न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2147-पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-05-2014 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 120/अपील/11-12

शकूर खॉ आत्मज जुम्मन खॉ मुसलमान
निवासी अन्नापुरा हरदा तहसील व जिला हरदा

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
जरिये राजस्व निरीक्षक डायवर्सन हरदा

.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/C/18 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी हरदा के समक्ष राजस्व निरीक्षक डायवर्सन द्वारा आवेदक के स्वामित्व की ग्राम कुलहरदा स्थित परिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 197/4, 171 कुल रकबा 0.050 हेक्टेयर में से छोटे-छोटे भूखंडों के प्लाट बेचे जाने एवं संहिता की धारा 172 के नियमों का उल्लंघन, बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कॉलोनी

निर्माण करने बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय द्वारा प्रकरण क्रमांक 46/बी-121/2010-11 दर्ज कर दिनांक 25-5-2011 को आदेश पारित कर विकास कार्य की राशि जमा कराने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश परिवेदित होकर कलेक्टर जिला हरदा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27-3-2012 को अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 29-05-2014 को आदेश पारित कर अपील अपास्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं लगायी गई थी कि आवेदक अपनी भूमि को छोटे छोटे टुकडो में विक्रय न करें । प्रचलित विधि अनुसार आवेदक को धारा 172 में वर्णित नियम का पालन भी करना आवश्यक नहीं था । परिवर्तित भूमि का आदेश दिनांक 4-12-1982 को दिया गया था, जबकि उक्त नियम 1984 में प्रभावशील हुये थे । नियमों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर जिला हरदा द्वारा पारित आदेश के पालन में किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई है और न ही इस तथ्य को आयुक्त द्वारा देखा गया है इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश जो कि शासन के पक्ष में बिना किसी साक्षी की साक्ष्य लिये मनमाने स्वेच्छाचारी क्षेत्राधिकारविहीन और अवैध पारित किये गये है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत बने नियमों का उल्लघंन करते हुये बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विकास कार्य की राशि जमा कराने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और इसी आशय के निष्कर्ष निकालते हुये कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलें निरस्त की गई है । अत: तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये

समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर